डा० गोविन्द दास रिछारिया : मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि सन् 1972 में जो फैसला किया गया था कि इसके लिये वहां फ्लैट बनाये जायेंगे तो उसको क्यों परिवर्तित किया गया ? उसमें फ्लैटेड फ़क्टरियां क्यों नहीं बनाई गई ?

श्री दलबीर सिंह: 1972 में लारेंस रोड़ में क्षेत्रीय विकास योजना ने जो भूमि अनुमोदित की थी वह 12.34 हैक्टयर थी उस क्षेत्र में से कुछ डी०टी०सी०को दी गई है और उसमें से 6 हक्टेयर दिल्ली परिवहन निगम को डिपो के निर्माणाधीन आवंटित की गई है। कुछ जमीन उसमें से डी० डी० ए० ने ली है प्रिंटिग प्रैस के लिये। यह कार्य निर्माणाधीन है और इसको रोका नहीं गया है ।

MR. CHAIRMAN: No, His question is, it was reserved for flats. Why was it not used for flats and it was used for something else? That is the question. You See, in part

(a) it has been asked:

"Whether it is fact that an area of land under the Zonal Development Plan of the Lawrence Road Residential..."

SHRI DALBIR SINGH: Just a minute, Sir. Central Government in November, 1972 approved the Zonal Development Plan of Zone S-II, Lawrence Road. Under section 9(2) of the Delhi Development Act in this Zonal Plan this area of 12 34 hectares was proposed to be used for setting up factories, transport centre, bus terminal. Out of these 12.34 hectares, about 6 hectares had been allotted for construction of the Delhi Transport Corporation depot, and accordingly buildings were constructed and are under construction now.

MR. CHAIRMAN: No, no, you have not understood the question. Are you satisfied with the answer, Mr. Richharia?

This area was reserved among other things for flats. His question is why flats were not built and why the Delhi Transport Corporation depot was built. If you have got the answer, you give.

श्री दलबीर सिंह : इसमें जो आवश्यकता है ट्रेड के लिये वह 12.34 हक्टेयर भमि कुल है । उसमें से कुछ डी०टी०सी० को दी गई है और बाकी डी० डी० ए० ने ली है ।

MR. CHAIRMAN: All right. Next question.

आपरेशन फ्लड-2 के कार्यकरण का पुनरीक्षण

*375. **श्री घनश्याम सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपरेशन फ्लड-2 योजना के आरम्भ होने से पूर्व किसानों को दूध के लिये क्या भाव मिलता था और अब भाव क्या है ;

(ख) इस अवधि में मूल्य सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) आपरेशन फ्लड की योजनाओं के अन्तर्गत देश में राज्यवार दुग्ध उत्पादन प्रासेसिंग क्षमता एवं पशुधन विकास में कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) क्या आपरेशन फ्लड-2 के कार्यकरण का मूल्यांकन करने हेतु श्री एल०के० झा की अध्यक्षता में कोई समिति गठित की गई है, यदि हां, तो उसने क्या सिफारिशें की हैं तथा उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

(क) आपरेशन फ्लड शुरू होने से पूर्व डेरियों ने गाय का दूध 75 पैसे से 125 पैसा तथा भैंस का दूध 84 पैसे से 170 पैसा प्रति किलो की दर से किसानों से खरीदा । अधिकांश डेरियों ने ठेकेदारों के माध्यम से दूध की खरीद की, इसलिए इन मूल्यों का उन वास्तविक मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जो उत्पादकों को मिला ।

उत्पादकों के लिए मूल्य अब गाय के दूध के लिए 228 पैसे से 430 पैसे तक प्रति लीटर और भैंस के दूध के लिए 288 पैसे से 431 पैसे तक प्रति लीटर है ।

(ख) दूध के थोक मूल्यों के सूचकांक अनुपत्र 1 में दिए गए हैं ।

(ग) आपरेशन फ्लड के तहत क्षेत्रों में दूध उत्पादन के लिए कोई अलग से सर्वेक्षण नहीं किया गया है । तथापि वर्ष 1984-85 के लिए राज्यवार कच्चा दूध परिसंस्करण क्षमता सहित राज्यवार अनुमानित कुल दूध का उत्पादन और आपरेशन फ्लड के तहत जून, 1985 तक पैदा हुए उन्नत मादा बछड़ों की बताई गई संख्या अनुपत्र 2 में दी गई है ।

(घ) जी, हां । समग्र मूल्यांकन यह है कि आपरेशन फ्लड परियोजना के तहत अपनाया गया दृष्टिकोण तथा नीतियां ठोस हैं और परियोजना सुयोग्य तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा तैयार की जा रही है । सिफारिशें अनुपत्र 3 में दी गई है । रिपोर्ट राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित प्राधिकरणों की सिफारिशों पर उनके विचार/टिप्पणियों के लिए परिचालित की गई थी । अब तक उनमें से अधिकांश ने अपनी टिप्पणियां/विचार नहीं भेजे हैं । सरकार रिपोर्ट पर ध्यान दे रही है ।

अनुपत्र–1

दूध के थोक मूल्यों का सूचकांक

(आधार वर्ष=1970–71=100)

वर्ष	दूध (वार्षिक औसत)
1978	162.9
1979	169.8
1980	178.3
1981	200.9
1982	225.9
1983	243.0
1984	265.9
1985	277.3

अनंतिम
(जनवरी से तथा 9 नवम्बर, 1985 तक औसत)

अनुपत्र–2

आपरेशन फलड के तहत वर्ष 1984–85 के लिए राज्यवार अनुमानित कुल दुग्ध उत्पादन, कच्चे-दूध की परिसंस्करण क्षमता और जून, 1985 तक पैदा हुए उन्नत मादा बछड़ों की संख्या प्रदर्शित करने वाला विवरण

राज्य का नाम	दूध का अनुमानित उत्पादन (000) मीटरी टन	कच्चे दूध की परिसंस्करण क्षमता (लाख लीटर प्रति दिन)	प्रारम्भ से जून, 1985 तक सूचित किए गए पैदा हुई कुल उन्नत बछियां
1. आन्ध्र प्रदेश	2500	10.11	4.27
2. असम	549	0.20	0.14
3. बिहार	2350	1.25	0.12
4. गुजरात	2640	28.20	388.33
5. हरियाणा	2400	2.35	2.62
6. हिमाचल प्रदेश	358	0.20	—
7. जम्मू और काश्मीर	315	0.10	—
8. कर्नाटक	1900	5.40	68.02
9. केरल	1173	0.85	10.11
10. मध्य प्रदेश	2784	4.30	8.19
11. महाराष्ट्र	2110	16.10	10.24
12. मणिपुर	66	—	—
13. मेघालय	64	—	—
14. नागालैंड	4.15	—	—
15. उड़ीसा	334	0.10	2.01
16. पंजाब	3810	7.00	5.06
17. राजस्थान	3500	7.50	34.81
18. सिक्किम	20.2	0.10	0.23
19. तमिलनाडु	2600	5.77	149.59
20. त्रिपुरा	22.5	0.10	0.02
21. उत्तर प्रदेश	6720	3.85	2.20
22. पश्चिम बंगाल	2200	10.00	26.21

अनुपत्र–3

श्री एल० के० झा की अध्यक्षता में सरकार द्वारा नियुक्त की गई आपरेशन फ्लड–2 संबंधी मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें

1. विशेष रूप से आपरेशन फ्लड के क्षेत्रों में आंकड़ों के संचयन में सुधार लाने के लिए उपाय किए जाने चाहिएं ताकि प्रगति की निगरानी तथा प्रबोधन किया जा सके ।

2. कुछ कठिनाइयों की वजह से स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था, पशुधन की श्रेणी बढ़ाने, चारे तथा अन्य आवश्यक आदानों की उपलब्धता में सुधार लाने के प्रयासों की गति मंद पड़ गई । इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए पहले की तुलना मे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । जो प्रगति में कमी के लिए उतरदायी है ।

3. यद्यपि भारतीय डेरी निगम तथा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को सफलता प्राप्त करने के लिए इन क्षेत्रों में अपने निजी प्रयास तेज करने चाहिएं तथापि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, दोनों को इस उद्यम में सक्रिय रूप में योगदान देना होगा ।

4. इस कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली सुविधाओं के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता, जो इस समय 70 प्रतिशत ऋण तथा 30 प्रतिशत अनुदान के आधार पर है, को विशेषकर जहां कुछ प्रोन्नत प्रयासों की जरूरत है, कुछ उदार बनाने की आवश्यकता है । भारत सरकार इस दिशा में उचित कार्यवाही करे । संचालन संबंधी व्यय को उत्पादकों को दिए गए मूल्यों की अल्प प्रतिशतता की वसूली करके नहीं, बल्कि उचित मूल्य निर्धारण करके पूरा किया जाना चाहिए जिसमें आदान संबंधी कार्यक्रम के आवर्ती व्यय को लागत का एक घटक समझा जाएगा । किसी हद तक लागत को संसाधनों की कमी की वजह से इस प्रकार से पूरा नहीं किया जा सकता । इस कमी को कुछ समय के लिए भारतीय डेरी निगम द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में पूरा किया जाना चाहिए, जिसे बाद के दो वर्षों में धीरे धीरे कम किया जाए ।

5. खुर पका मुह पका रोगों आदि के रोग रोधक उपायों सहित चारा उपलब्धि तथा स्वास्थ्य सेवा संबंधी व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों को प्रमुख भूमिका अदा करनी होगी ।

6. जिस सीमा तक छोटे किसानों को दूध की अधिक मात्रा प्राप्त करने की आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा सके, उस पर निर्भर करेगी । इसलिए एक विस्तार कार्यक्रम की आवश्यकता है । संबंधित प्राधिकारियों को सभी स्तरों पर प्रगति पर सावधानी पूर्वक निगरानी करनी चाहिए और मार्ग में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिएं ।

7. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड तथा भारतीय डेरी निगम के स्तर पर इस प्रकार के कार्यक्रम को अमल में लाने के लिए एक विशिष्ट ग्रुप का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें वे विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिनका मुख्य कार्य राष्ट्रीय स्तर पर दूध का उत्पादन बढ़ाने संबंधी कार्यक्रम का मार्गदर्शन करना होगा, और क्षेत्रीय स्तर परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए फेडरेशन तथा यूनियन स्तर पर तदनुरूपी व्यवस्थाएं भी की जानी चाहिएं ।

8. कलकत्ता तथा दिल्ली की डेरियों की अपने दुग्ध शालाओं में दूध की पर्याप्त मात्रा की खरीद न कर पाने का पहला कारण सहकारी समितियों की संगठनात्मक तथा वित्त संबंधी समस्याएं है, जिसके फल स्वरूप उत्पादकों को विलंब से भुगतान होता है और दूसरा कारण, विशेष रूप से दिल्ली मे दूध की अधिप्राप्ति के लिए अपनाई गई मूल्य निर्धारण की नीति थी। इस समस्या पर काबू पाने तथा मूल्य निर्धारण संबंधी नीतियों की समीक्षा करने

की आवश्यकता है । परिवहन लागतों को कम से कम करने की दृष्टि से मूल्य निर्धारण की लचीली नीति अपनाने की वांछनीयता पर विचार करना चाहिए ।

9. किसी विशेष क्षेत्र में जहां तक संभव हो उपभोक्ताओं संबंधी अधिमानताओं को ध्यान में रखते हुए विपणन व्यवस्था का निर्धारण किया जाना चाहिए, जबकि विक्रय मूल्यों में संबंधित विपणन व्यवस्था के लिए डेरी की वास्तविक लागत को ध्यान में रखना चाहिए ।

10. उन क्षेत्रों में दूध की अधिप्राप्ति बढ़ाने के लिये प्रयास किये जाने चाहियें, जहां दूध की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है । कुछ संयंत्रों को अन्य स्थानों में ले जाने की संभावना पर विचार किया जाना चाहिये, जो अधिक आशाजनक हो सकता है। यदि इस प्रकार के आन्दोलन से कोई तकनीकी अथवा आर्थिक कठिनाइयां नही आती हों । पशु आहार संयंत्रों अथवा अन्यों के संबंध में संघ के क्षेत्र, जिसमें वे स्थित हैं, के भीतर ही नहीं, बल्कि बाहर भी उनके उत्पादों का विपणन करने के लिये अधिक भरसक प्रयास करने चाहियें । लागतों पर ध्यान देने से पशु आहार मूल्यों को कम करने में भी सहायता मिलती है । इस प्रकार यह अधिक समर्थ करने योग्य है ।

11. सावधानी से और निवेश किया जाना चाहिये । दूध की उपलब्धि के लिये बेहतर और अधिक यथार्थ मूल्यांकन किया जाना चाहिये । इसी प्रकार, पशु आहार हेतु तरल नाइट्रोजन आदि के बारे में योजना राष्ट्रीय आधार पर तैयार की जा सकती है । कुल मिलाकर, भारतीय डेरी निगम के संसाधनों का हार्डवेयर क्षेत्र में कम प्रयोग किया जाना चाहिये और उनका आदान कार्यक्रम को जारी रखने के लिये अधिक उदारता से उपयोग किया जाना चाहिये ।

12. दुग्ध चूर्ण और दुग्ध वसा का बफर स्टाक बनाने की आवश्यकता पर भी विचार किया जाना चाहिये ।

13. उत्पादक को दूध का वह मूल्य मिलना चाहिये जिससे उसे बढ़ावा मिले और प्राथमिक रूप से गोपशु/भैंस के प्रति पशु दूध के उत्पादन में वृद्धि करके उत्पादन में वृद्धि कर सकें ।

14. अन्य तथ्य, जिसे ध्यान में रखा गया है कि दूध के उत्पादक मूल्य का निर्धारण करते समय उसकी समयानुसार लागत को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

15. कृषि मूल्य आयोग को कहा जाये कि वह दूध के उत्पादक मूल्य के बारे में अपनी सिफारिशें दें ।

16. उपभोक्ता केन्द्र के मूल्य के बारे में परिवहन और अन्य ऊपरी खर्चों को ध्यान में रखा जायेगा ।

17. औद्योगिक उत्पादों के लिये वार्षिक उत्पादन के संबंध में लाइसेंसशुदा क्षमता का होना जायज है । लेकिन दूध जैसे उत्पाद के मामले में जिसको सप्लाई में मौसम के अनुसार अत्यधिक उतार-चढ़ाव होता है, यह अधिक उपयुक्त होगा कि मन्दे मौसम में जबकि उत्पादन काफी कम होता है, इसके उत्पादन पर रोक लगायी जाये । यह भी वांछनीय होगा कि विनिर्माताओं को दूध के सप्लाई तंत्र को विकसित करने के संबंध में कुछ स्पष्ट निर्देश दिये जायें ।

18. अन्त में जिसे किये जाने की आवश्यकता है वह यह है कि निजी विनिर्माताओं पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जायें, ताकि वे दूध के कुछ भाग का योगदान कर सकें, जिसे वे तरल दूध मण्डी में सप्लाई करने के लिये खरीदते हैं ।

19. ऐसा करने के लिये प्रतिबन्ध कानून द्वारा लगाया जा सकता है, जो पक्षपातपूर्ण न हो और जो सार्वजनिक सहकारी क्षेत्र के संयंत्रों के लिये भी लागू हो ।

20. विधायी अधिकारी पर निर्भर करने के बजाय विकास परिषद् का गठन करने का प्रयास किया जाना चाहिये, जिसके लिये उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया है।

21. आगे लाइसेंस देने के प्रश्न पर भी विकास परिषद् में विचार किया जाना चाहिये और तब तक नये लाइसेंस देने अथवा विद्यमान क्षमता का विस्तार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

22. उन सुविधाओं को, जिनका एक से अधिक संघों द्वारा उपयोग किया जा सकता है, भारतीय डेरी निगम द्वारा स्थापित किया जाना चाहिये, संघों द्वारा स्थापित की जाने वाली सुविधाओं के मामले में यह सहायता विशेष रूप से वहा जहां सम्वर्धनात्मक प्रयास आवश्यक है, 100 प्रतिशत अनुदान के आधार पर भी उपलब्ध करायी जा सकती है।

23. अलाभप्रद क्षेत्र में आपरेशन फ्लड के कार्यकलाप शुरू करने का भार भारतीय डेरी निगम जसे वित्तीय संस्थान पर नहीं डाला जाना चाहिये, बल्कि यह संबंधित राज्य सरकार का दायित्व होना चाहिये और उसके विकास परिव्यय में शामिल किया जाना चाहिये, तथा इसमे विशेष मामलों में केन्द्रीय सरकार भी यथावश्यक सहायता दे सकती है।

24. उत्पादों के विनिर्माण, विशेषकर माल्टेड दुग्ध आहार, चाकलेट इत्यादि जैसी मदों के लिये परिसंस्करण सुविधाओं हेतु सहायता देने की पद्धति पूर्णतः ऋण के रूप में होनी चाहिये, कोई अनुदान नही होना चाहिये।

25. इस प्रश्न की जांच की जा सकती है कि क्या भारतीय डेरी निगम विलम्बनकाल की अपनी अवधि को बढ़ा सकता है अथवा उधार देने के अपने भावी कार्यों में ब्याज के पूंजीकरण संबंधी मांग को नरम कर सकता है।

26. भारतीय डेरी निगम से यह आशा नहीं की जानी चाहिये कि वह दुग्धशालाओं के दूरस्थ क्षेत्रों को शामिल करने अथवा आपरेशन फ्लड परिचालन की कमियों के फलस्वरूप परिवहन लागत की व्यवस्था करने के लिये राज-सहायता उपलब्ध करायें। ऐसे मामलों में, इसका उपचार संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिये।

27. भारतीय डेरी निगम को या तो संघों को उपलब्ध कराए जा रहे बीज/मार्जिन धनराशि पर अथवा उप-परियोजना में लगी कार्यकारी पूंजी मे तेजी से वृद्धि होने की संभावना की जांच की जानी चाहिये और विचार किया जाना चाहिये।

28. तत्कालीन राज्य निगमों से संघों द्वारा प्राप्त संचयी हानि की समस्या को हल करने के औचित्य की संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जांच की जानी चहिये, ताकि वित्तीय संघों की वित्तीय कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

29. गैर-आपरेशन फ्लड-2 क्षेत्रों मे, यदि यह केवल स्थानिक खपत के लिये हो, तो भी दूध की सप्लाई मे वृद्धि करने के लिये राज्य सरकारों द्वारा कदम उठाए जाने चाहियें।

30. आपरेशन फ्लड-2 क्षेत्रों में, सहकारी समितियों द्वारा स्वयं किये गये कार्यकलापों के अलावा, चिकित्सा संबंधी देखभाल, कृत्रिम गर्भाधान, गोपशु खरीदने के लिये वित्त इत्यादि जैसे मामलों में राज्य प्राधिकारियों द्वारा एक विशेष भूमिका अदा करनी होगी।

31. सहकारी समितियों में राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व संघ स्तर पर और अपवादिक मामलों में यूनियन स्तर पर होना चाहिये, न कि ग्राम स्तर पर।

32. सहकारी समितियों के मुख्य कार्यकारी आदर्शतः संगठन के नियमित कर्मचारी होने चाहियें, न कि सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी।

33. सहकारी समितियों के उप-नियमों में सांगठनिक और प्रशासनिक मामलों में ढील देने की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिये। इस बीच सहकारी नियमों में किसी परिवर्तन की प्रत्याशी में राज्य सरकारों के दुग्ध डेरी विकास आयुक्त (अथवा वैसे ही अधिकारी) को इन समितियों के संबंध में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की शक्तियां सौंपी जा सकती हैं।

34. यह वांछनीय होगा कि प्रत्येक राज्य में एक डेरी विकास परिषद् स्थापित की जाये, जिसमें राज्य सरकार, संघ और भारतीय डेरी निगम तथा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल हों और प्रभारी मंत्री उसका अध्यक्ष हो।

35. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को भारतीय डेरी निगम के साथ मिलाया जाये और इसके अनुसंधान तथा विकास विंग के रूप में काम करें।

36. इन दोनों संस्थाओं द्वारा किये गये कार्यों को ग्रहण करने के लिये नया निगम बनाया जाये।

37. निगम को कार्य में वैसी ही पूरी स्वतंत्रता और स्वरूप मिलना चाहिये, जो अभी तक राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड तथा भारतीय डेरी निगम को प्राप्त है तथा यह नेवार्ड, आई०वी०आई०, आई०एफ०सी० आदि जैसी अन्य वित्तीय संस्थानों के समान हो।

38. जब तक नया निगम नहीं बनता है, तब तक राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और भारतीय डेरी निगम को आपरेशन फ्लड प्रोजेक्ट से बाहर भी और अधिक व्यापक भूमिका निभानी चाहिये।

39. निगम में व्यावसायिक दृष्टि से संचालित संगठन होना चाहिये, जिसका अध्यक्ष व्यावसायिक दृष्टि से अर्हता प्राप्त व्यक्ति हो और इसके निर्देशक पूर्ण-कालिक हो।

40. बोर्ड में ये अधिकारी भी होने चाहियें (क) केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से दो निदेशक कृषि मंत्रालय से एक और वित्त मंत्रालय या योजना आयोग से एक और (ख) राज्य सरकारों और राज्य डेरी फेडरेशनों से दो निर्देशकों, जिन्हें उनके विशेषज्ञ ज्ञान या विशेषता के आधार पर चुना जाये; (ग) के अधीन निदेशक विभिन्न राज्यों/राज्य फेडरेशनों में बारी-बारी से हो सकता है।

41. नये निगम की स्थापना का यह अभिप्राय नहीं हो कि डेरी विकास के बारे में कृषि मंत्रालय की समग्र उत्तरदायित्व मे किसी भी प्रकार की कमी होगी। इसलिये इसके डेरी प्रभाग को सुदृढ़ बनाया जाये।

42. आपरेशन फ्लड-2 के केन्द्रीय उद्देश्यों में से एक उद्देश्य दूध उत्पादन की वृद्धि होना चाहिये।

43. चूंकि दूध उत्पादकों को अधिक लाभकारी कीमतें दिये जाने की जरूरत होगी, इसलिये संगठनात्मक और प्रबन्ध समस्याओं को हल करने की भी जरूरत होगी।

44. यह सुनिश्चित करने के लिये सावधानी बरती जाये कि आयातित दूध के पाउडर को स्रोत के रूप में या दूध की कीमत में सहायता के रूप में प्रयुक्त न किया जाये।

45. दूध उत्पादकों को लाभकारी कीमतें दी जानी चाहिये, परन्तु उपभोक्ताओं का भी कोई शोषण नहीं होना चाहिये।

46. आपरेशन फ्लड-2 के अलावा अन्य क्षेत्रों में राज्य प्राधिकारियों द्वारा विकास कार्य शुरू किये जाने चाहिए जिनमें भारतीय डेरी निगम और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का सहयोग सबसे अधिक सहायक होगा।

श्री घनश्याम सिंह : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो स्टेटमेन्ट सदन में रखा है उसको मैंने पढ़ने की कोशिश की है । आपरेशन फ्लड योजना को लागू करते समय यह अनुमान किया गया था कि देश के चार महानगरों, दिल्ली बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के चारों तरफ दूध की उपलब्धता इतनी बढ़ा देंगे कि सस्ती दर पर अच्छा दूध लोगों को उपलब्ध हो सके । इसी संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि आपरेशन फ्लड 1 और 2 के अन्तर्गत यह माना गया था कि मिल्क पाउडर और बटर आयल आयात करके इन डेरियों से दूध की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये और इन दो मीन टाइम दूध का प्रोडक्शन बढ़ा लिया जाये । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि कलकत्ता और दिल्ली के आस पास इन योजनाओं के अन्तर्गत दूध की उपलब्धता कितनी बढ़ी है और यदि आप नहीं बढ़ा पाये हैं तो उसके क्या कारण रहें है ?

श्री योगेन्द्र मकवाणा : बढ़ा पाये हैं ।

श्री घनश्याम सिंह : माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि उपलब्धता बढ़ी है । निश्चित रूप से दिल्ली के नागरिकों के लिए दूध की उपलब्धता बढ़ी है । लेकिन यदि आप इसका विश्लेषण करें कि जो दूध का उत्पादन कृषकों के घरों में बढ़ना चाहिए था वह नहीं बढ़ा है और इन डेरियों की केपेसिटी को युटिलाइज करने के लिए आप 60 परसेन्ट मिल्क पाउडर और बटर आयल आयात करके दिल्ली के नागरिकों को दूध दे रहें है । इन योजनाओं का असली उद्देश्य यह था कि दिल्ली के चारों तरफ रहने वाले किसानों को दूध उत्पादन की क्षमता इतनी बढ़ा दी जाएगी कि वे दूध पर्याप्त मात्रा में दे सकें आप दिल्ली वालों को जो दूध देते हैं । उसमें 60 परसेन्ट मिल्क पाउडर और बटर आयल होता है और बाकी आप दूध कलैक्ट करके देते हैं । मेरा प्रश्न यह है कि अगर दूध का उत्पादन बढ़ा है तो आप फीगर देकर बताएं कि आपरेशन फ्लड के आरम्भ में कितना दूध उपलब्ध होता था और अब कितना हो रहा है ? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपरेशन फ्लड के फण्ड को यूटिलाइज करने में भी इतनी डिसपैरिटीज है कि किसी प्रदेश में तो ज्यादा काम हुआ है और किन्हीं प्रदेशों में जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान आदि में देखा जाये तो बहुत कम काम हुआ है । इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका काम करने का माप-दण्ड क्या है और क्या इसमें एकरूपता लाने का आपका विचार है ?

श्री योगेन्द्र मकवाणा : माननीय सभापति जी, मैंने माननीय सदस्य को बताया है कि दूध की उपलब्धता बढ़ी है । आज हम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से दूध लेकर दिल्ली शहर को दे रहे हैं माननीय सदस्य का मैन क्वेश्चन प्राइसेज के बारे में , दामों के बारे में है । उन्होंने पूछा है कि दिल्ली मिल्क के दाम बढ़े हैं या नहीं । इसके जवाब में मैं यह कहना चाहूंगा कि गाय का दूध पहले 75 से 125 पैसे के बीच में था, लेकिन अब वह 228 पैसे से 430 पैसे के बीच में है । इसी प्रकार से बुफेलो का दूध पहले 84 पैसे से 170 पैसे के बीच में था । लेकिन अब यह 288 पैसे से 431 पैसे तक बढ़ गया है । इस प्रकार से प्राइसेज बढ़ी है अब यह बात रही कि दूध बढ़ा या नहीं । उसके बारे में भी माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि दूध का उत्पादन कितना बढ़ा है, जहां तक जो मिल्क हम लेते हैं उसकी फीगर तो हमारे पास है, लेकिन दूध कितना पैदा हुआ है उसकी फीगर हमारे पास नहीं है क्योंकि कुछ दूध तो कंट्रेक्टर ले जाते है, कुछ डेरियां लेती हैं और कुछ वे खुद भी कंज्यूम करते हैं और अपने पड़ोसियों को भी देते है ।

श्री घनश्याम सिंह : आप दिल्ली में दूध कितना खरीदते हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाणा : श्रीमन्, माननीय सदस्य का सवाल प्राइसेज के बारे में है । दिल्ली में कितना दूध खरीदते हैं उसके लिए मुझे अलग से नोटिस चाहिए ।

MR. CHAIRMAN: All right. Next question.

DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI: Sir, milk products processing centres have been started in many places. I think

the proceeds of the sale of the imported milk powder is being utilised for this purpose, that is, invested in these products. If there is surplus milk only then the proceeds of the milk can be continued. There is no surplus milk—how can the milk products schemes continue? Whether it is a fact that imported milk powder sales is meant for utilising such things?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: At present we are not utilising the imported milk powder for the dairies except some powder in Calcutta and Delhi dairies. Even that also we have now discontinued, because of availability of sufficient liquid milk within the country.

श्री विट्ठलराव माधव राव जाधव : सभापति महोदय, दूध उद्योग देश का बहुत बड़ा उद्योग है ।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Supply of potable Water in Uttar Pradesh Villages

*363. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what is the number of villages in each district of Uttar Pradesh where potable water has not yet been supplied;

(b) what is the number of villages proposed to be covered under the Seventh Five Year Plan in each district of the State where potable water is proposed to be supplied; and

(c) by when all the villages in the State are likely to be supplied potable water?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI CHANDULAL CHANDRAKAR): (a) to (c) A statement indicating districtwise number of problem villages in Uttar Pradesh as on 1-4-1985 on the basis of identification done at the commencement of the Sixth Plan is annexed.

The Government is committed to providing safe drinking water in the rural areas. This objective forms point No. 5 of the 20 point Programme and is also included in the Minimum Needs Programme. During the Seventh Plan in line with the objective of international Drinking Water Supply and Sanitation Decade (1981-91) the aim would be to provide adequate drinking water facilities to the entire rural population. The programme would aim at covering indentified problem villages on the existing criterion based on the earlier survey as well as subsequent identification and full coverage of partially covered villages/habitations with special emphasis on Scheduled Caste and Scheduled Tribe habitations. The States including Uttar Pradesh are conducting comprehensive surveys to identify the requirement of drinking water in partially covered villages/habitations with special other villages which are problem villages and do not figure in the existing list of identified problem villages.

Statement

Statement of Problem Villages Districtwise in Uttar Pradesh

Sl. No.	Name of the District	No. of problem villages remaining as on 1-4-85 on the basis of the identification at the Commencement of the 6th Plan
1	2	3
1	Uttarkashi	2
2	Tehri	89
3	Dehradun	9
4	Chamoli	27
5	Pauri-Garhwal	103
6	Pithoragarh	40
7	Almora	289
8	Nanital	73
9	Saharanpur	—